23.6.18	पत्रावली प्रस्तुत होकर राजीनामा पेश किया गया पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।
वादीगण मय [illegible]	
प्रतिवादीगण उपस्थित	वादीगण वाद पत्र की बाबत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर बहस सुनना चाहते हैं। वादीगण बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वादीगण वाद पत्र में वर्णित तथ्यों, राजीनामे के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इच्छा जाहिर की जबकि प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की सहमति दी। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित [illegible] ग्राम हाराजियान ग्राम कोईलावास पटवार हल्का कोठियाँ तहसील मांडल में स्थित होकर

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
फौज सहायक कलक्टर माण्डल

प्रकरण/ क्रमांक 105/2014 रा.वाद

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
गोरीलाल S/O रामप्रकाश महाजन साकिन सिसवा के नाम दर्ज रेकर्ड है जरिये इन्तकाल नम्बर 84 दिनांक 15-4-2013 के द्वारा विरासत के गोरीलाल S/O रामप्रकाश के नाम दर्ज के बजाय राजकुमार, जगदीश S/O गोरीलाल के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जरिये इंतकाल नम्बर 87 दिनांक 9-5-2013 के द्वारा बेचान के पुरा खाता बाबूराम S/O जमनालाल सोगानी साकिन मोहनलाल, कमलतलाल S/O जमनालाल के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी तसदीक प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल संवत 2068 से 2071 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के मुताबिक विवादित अराजियात के खातेदार वादीगण है वादीगण के खातेदारी अराजियात में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की चेष्टा कर रहे है जबकि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होकर कारण वादीगण स्वयं खातेदारी अधिकार एवं स्वामित्व की अराजियात में तथा कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी व बेदखल करने पर आमादा होने के कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है जिससे वादीगण अपने खातेदारी अराजियात का उपयोग-उपभोग शांतिपूर्वक कर सके। इस बाबत प्रतिवादीगण ने भी उपस्थित होकर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत सहमति प्रदान की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण स्वयं काबिज रहने के कारण वाद पत्र को डिक्री करने के स्वीकार किया जाना उचित वादीगण का वाद पत्र स्वीकार समझता हूँ, अतः	

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलका[r] हुक्म की ... में जा...
	:: आदेश ::	

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम आदर्श नगर पटवार हल्का लोहकवा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नं० 2657/1164 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग में कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट–लेसवा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–105/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1–श्री बालूराम पिता सोहनलाल सोमाणी, उम्र बालिग निवासी लेसवा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–श्री सम्पतलाल पिता जमनालाल सोमाणी, उम्र बालिग निवासी लेसवा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––––वादीगण

बनाम

1–श्रीमति रोशनी पत्नि रतनलाल जाट, उम्र बालिग निवासी लेसवा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–श्रीमति गंगा पत्नि शंकर जाट, उम्र बालिग निवासी लेंसवा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––––प्रतिवादीगण

–––––

वादीगण की ओर से –– एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 23.6.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादीगण वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम आदर्शनगर पटवार हल्का लेंसवा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नबर 2657/1164 रकबा 1 बीघ 10 बिस्वा भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देवीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

आज दिनांक 23.6..2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल